

## आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, द्वारा 40.00 लाख पत्रांक-89(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 22.08.2016 द्वारा 500.00 लाख एवं पत्रांक-103(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 द्वारा 1500.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत-उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड-एन2245021010001 मद में कुल-2040.00 लाख (दो हजार चालीस लाख) का प्राप्त आवंटन इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-657/आ0प्र0, दिनांक 30.07.2016, आदेश ज्ञापांक-939/आ0प्र0, दिनांक 28.08.2016 एवं आदेश ज्ञापांक 989/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 तथा आदेश ज्ञापांक-1015/आ0प्र0, दिनांक 06.09.2016 एवं आदेश ज्ञापांक-1052/आ0प्र0, दिनांक 11.09.2016 द्वारा कुल 2290.00 (दो हजार दो सौ नब्बे लाख) पटना जिले के बाढ़ प्रभावित अंचलों को उपावृत्त किया जा चुका है।

उक्त मद में जिला में सुरक्षित आवंटन मौ०-550.00 लाख (पाँच सौ पचास लाख) रुपये में से बाढ़ प्रभावित अंचलों को पीड़ित परिवारों को नगद अनुदान भुगतान हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को निम्नरूपेण उपावृत्त करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

गांग संख्या-39

विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

क्र०	अंचलाधिकारी का नाम	2245-02-101-0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान एन2245021010001 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा		
		पूर्व उपावृत्त राशि	वर्तमान उपावृत्त राशि	कुल योग
01	02	03	04	05
1	अंचलाधिकारी, दानापुर	30000000.00	-	30000000.00
2	अंचलाधिकारी, मनेर	36000000.00	-	36000000.00
3	अंचलाधिकारी, पटना सदर	15000000.00	-	15000000.00
4	अंचलाधिकारी, पुनपुन	250000.00	2500000.00	2750000.00
5	अंचलाधिकारी, फतुहौ	15000000.00	-	15000000.00
6	अंचलाधिकारी, दनियावौ	250000.00	-	250000.00
7	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर	10700000.00	-	10700000.00
8	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	46000000.00	-	46000000.00
9	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	54000000.00	-	54000000.00
10	अंचलाधिकारी, वेलछी	300000.00	-	300000.00
11	अंचलाधिकारी, पंडारक	300000.00	-	300000.00
12	अंचलाधिकारी, घोषवरी	200000.00	-	200000.00
13	अंचलाधिकारी, मोकामा	15000000.00	-	15000000.00
14	अंचलाधिकारी, बाढ़	6000000.00	-	6000000.00
15	अंचलाधिकारी, सम्पतचक	-	2500000.00	2500000.00
16	अंचलाधिकारी, धनरुआ	-	10000000.00	10000000.00
17	अंचलाधिकारी, नौबतपुर	-	1250000.00	1250000.00
	उप उपावृत्त राशि	229000000.00	16250000.00	245250000.00
	जिला में सुरक्षित			38750000.00
	कुल योग			284000000.00

- (1) इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0001- निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड- एन2245021010001 मद में उपावृत्त राशि से विकलनीय होगा।
- (2) यह आवंटन बाढ़ के मद्देनजर बाढ़ प्रभावित अंचलों को नियमानुसार नगद अनुदान हेतु निर्मित किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार चक्रवात के मद्देनजर भी किया जा सकता है। अनुरोध है कि राशि के 75 प्रतिशत व्योपरान्त ही अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जाय।

*Signature*

*he*

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0512-2219116(भा०)

फैक्स नं० 0512-2219930

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

- (3) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य में मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (5) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- (6) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लाघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (7) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यापन दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- (8) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापक-2561बी0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-02-101-0001-निःसहायों एवं विकलांगों के अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल रखाही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय। अनुलग्नक-मूल आवंटन पत्र की प्रति।

—  
जिला पदाधिकारी,  
पटना।

ज्ञापक 1061/आ0प्र0, दिनांक 14/09/2016

- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अंचलाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी, कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।  
प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक-01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, पत्रांक-89(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 22.08.2016 एवं पत्रांक-103(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 तथा पत्रांक-42/आ0प्र0, दिनांक 10.09.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।  
प्रतिलिपि:- आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

—  
14/9/16  
जिला पदाधिकारी,  
पटना।